ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 102-104

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

भारतीय सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

अनामिका कुमारी

शोधा अध्येत्री– समाजशास्त्र विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (बिहार), भारत

Received- 19 .11. 2021, Revised- 24.11. 2021, Accepted - 27.11.2021 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांशः ***मनुष्य एवं पर्यावरण में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य पर्यावरण में ही जन्म लेता है और पर्यावरण के साहचर्य में ही अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करता है। मनुष्य का जीवन पर्यावरण के बिना सम्भव नहीं है। पर्यावरण के विभिन्न घटक जल, भूमि, वायु, प्रकाश, ताप मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य ने जैसे–जैसे विकास किया, पर्यावरण का स्वरूप, वैसे–वैसे बिगड़ता गया। आधुनिक मनुष्य ने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का भी पहल किया। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही पर्यावरण का स्वरूप बिगड़ना प्रारम्भ हुआ। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण बढ़ा और प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। औद्योगिक विकास के कारण ऐसे–ऐसे संयत्रों का निर्माण हुआ और उपयोग हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षय शीघ्रतापूर्वक होने लगा। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसके चलते पोषण की समस्या उत्पन्न हुई। इसके समाधान के लिए हरित क्रान्ति आई। जिसमें कीटनाशक दवाईयों का लगातार प्रयोग बढ़ता गया। कीटनाशक दवाईयों के लगातार प्रयोग से विभिन्न प्रकार के कीट नष्ट हुये। जिसके चलते मनुष्य का स्वास्थ्य गिरा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती गयी। वन औषधियों का विभिन्न तरह से विनाश किया गयाऔर मनुष्य महामारियों की चपेट में आता गया। जनसंख्या विकास और सभ्यता के विकास के चलते प्रा.तिक संसाधनों का दोहन बिना किसी परिणाम की चिन्ता किये होने लगा। किसी एक क्षेत्र में नहीं मनुष्य हर क्षेत्र में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं संपोषणीय विकास में पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाये रखने की पहल करने लगा। सभ्यताओं के विकास के साथ ही पर्यावरण का प्राकृतिक रूप भी बदलता गया। भूमि, जल, वायु सभी प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। वनों एवं चारागाहों की उपेक्षा से पशुओं की नस्लों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। वायुमण्डल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्रदूषित वायु, जल, अन्न आदि के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है।***

कुंजीभूत शब्द– पर्यावरण, घनिष्ठ सम्बन्ध, साहचर्य, संचालित, जीवन पर्यावरण, सुचारू रूप, आधुनिक मनुष्य, प्रतिकूल।

पर्यावरण एवं मानव के सम्बन्धों को समझाने के विज्ञान की शुरूआत 19वीं सदी में हुई, जिसे 1866 में जर्मनी के जीव विज्ञानी हेकल ने पारिस्थितिकी नाम दिया तथा ऐसा माना कि मानवता का स्थान और कहीं नहीं, बल्कि पर्यावरण के भीतर मौजूद है। पर्यावरण चतुर्दिक घेरे हुए, उन तत्वों का योग है, जो किसी जीवधारी को प्रभावित करते हैं। हमारे चारों ओर व्याप्त तत्व पर्यावरण का सृजन करते हैं। इन प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग कर मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। मानव के उत्प्रेरक मूलभूत तत्व प्राकृतिक पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं।

डेविस के शब्दों में पर्यावरण मूर्त वस्तु न होकर अमूर्त वस्तु है। मैकाईवर का मानना है कि पृथ्वी का धरातल और उसकी समस्त प्राकृतिक दशायें प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, पर्वत, मैदान, पदार्थ, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु तथा सम्पूर्ण प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। लुई थामस ने अपनी पुस्तक 'द लाइव्स ऑफ ए सेल' में धरती को एक जीवित सेल और उसके चारों ओर के वातावरण को उसकी रक्षा का एक आवरण बताया। यही रक्षा कवच पर्यावरण है, जो धरती के सतह के ऊपर हवा को रोक रखने में सहायता करता है।

समाज के अन्तर्गत पर्यावरण के प्रभाव एवं महत्व का चिंतन तथा उसमें निहित विश्वास पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। ऐसी सभी चीजें पृथ्वी पर जीवन को सरल एवं संभव बनाती है, पर्यावरण के अन्तर्गत शामिल है। यथा भूमि, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, अग्नि, वन, पशु–पक्षी और पेड–पौधे।

प्राकृतिक पर्यावरण में यद्यपि अनेक तत्व शामिल हैं, लेकिन उनमें दो प्रमुख हैं– जल और वायु। इन्हीं के सामूहिक रूप को जलवायु कहा जाता है। जलवायु का महत्व इतना है कि सामान्यतया जलवायु को प्राकृतिक पर्यावरण का समरूप या समानार्थक मान लिया गया है। जल और वायु सृष्टि के आधार हैं। जल और वायु के अभाव में जीवन सम्भव नहीं है। ये सभी जीवधारियों के जन्म और विकास के लिए आवश्यक हैं। जिस ग्रह, उपग्रह पर जल और वायु नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है। सम्पूर्ण ब्रह्माड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, जहाँ जीवन सम्भव है। पृथ्वी पर दिखाई देने वाले विस्तार के बावजूद जीवन इसकी पतली परत में मौजूद है। जिसे जीवमण्डल भी कहा जाता है। जीवमण्डल के अन्दर ही विभिन्न जीव सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तथा एक दूसरे से लगातार परस्पर क्रिया करते हैं। यही परिवेश उसका प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार पर्यावरण जैव और अजैव घटकों और किसी जीव के आसपास के प्रभावों एवं घटनाओं का कुल योग है। वही जीवन श्रृंखला

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

का आधार भी है। प्राचीनकाल में मनुष्य प्रकृति से तालमेल बनाकर रहता था, लेकिन जैसे–जैसे विकास होता गया, वैसे–वैसे पर्यावरण भी विकसित होता गया। यह मानव निर्मित पर्यावरण है। पर्यावरण लगातार बदल रहा है और यह बदलाव कई प्रकार के पर्यावरण को जन्म दे रहा है, जिनमें दो प्रमुख प्रकार हैं –प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण।

प्राकृतिक पर्यावरण : प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक कारक हैं, सुविधा के लिए इन्हें दो भागों में बाँटा गया है :–

जैविक घटक और अजैविक घटक : जैविक घटक में पर्यावरण के जीवित तत्व आते हैं। जिसमें सभी जीवित प्राणी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव सम्मिलित है। जीवन पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर नीचे तथा कुछ किलोमीटर ऊपर की परत पर हैं, जिसे जीवमण्डल कहा जाता है। जीवमण्डल में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटित करने वाले जीव सम्मिलित है।

1. उत्पादक : ये हरी पत्ती वाले पेड़–पौधे होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में वृद्धि प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये जीव अपना आहार स्वयं बनाते हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है।

2. उपभोक्ता : इसमें मनुष्य सहित परपोषित उत्पादक पौधों के उत्पादों कोखाकर जीवित रहते हैं।

3. अपघटक : इसमें मृत जन्तुओं और पौधों को गला–सड़ाकर विघटित करने वाले जीवाणु और कारक जैसे सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक की प्रक्रिया के दौरान ये सूक्ष्म जीव अपना भोजन ग्रहण करनेके साथ ही जैविक तत्वो की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं।

अजैविक घटक: पारिस्थितिक तंत्र के भौतिक एवं रासायनिक घटक अजैविक संरचना का निर्माण करते हैं।

1. भौतिक कारक : सौर प्रकाश एवं छाया सूर्य की अवधि, तापमान, वार्षिक वर्णन वायु अक्षांश और देशान्तर की स्थिति, मृदा के प्रकार, जल आदि घटक परिस्थिति तंत्र के भौतिक कारकों में प्रमुख हैं।

2. रासायनिक कारक : प्रमुख पोषकतत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आक्सीजन, सल्फर, लवण व अन्य जैविक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के कार्य को प्रभावित करते हैं। वे या तो यौगिक रूप में भूमि के पानी में घुले होते हैं या स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जलवायु कारक जैसे प्रकाश, तापमान, नमी, पवन, वर्षा, जल तथा वायुमण्डलीय गैसों में भी अजैविक घटक का ही भाग है। इसके अतिरिक्त भूमि तथा खनिज अजैविक घटकों के अन्तर्गत आते हैं।

स्वतन्त्र भारत की सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था उन्नत पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रही है। यह उन्नत पर्यावरण की व्यवस्था को संवैधानिक विधिक एवं न्यायिक आधार प्रदान करती है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति–निदेशक तत्त्वों से सम्बन्धित है। 42वें संविधान संशोधन के पूर्व भारतीय संविधान के केवल अनु० 47 में ही पर्यावरण से सम्बन्धित व्यवस्था थी। इसके अनुसार 'राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर (Leve of Nutrition) और जीवन–स्तर को ऊँचा करने तथा लोकस्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशेषतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा'। 1976 ई० में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए अनु० 48–क जोड़ा गया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि, 'राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों (wild life) की रक्षा करने का प्रयास करेगा। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा ही नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का भी विधान किया गया जिसमें अनु० 51–क (छ) पर्यावरण से सम्बन्धित है। इसके अनुसार, 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया–भाव रखे।

भारतीय न्यायपालिका उन्नत पर्यावरण के विषय में अत्यधिक संवेदनशील है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन–हित याचिकाओं के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों को पर्यावरण–सुरक्षा के लिए निर्देश देना शुरू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 'एम० सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया' के वाद में अनु० 51–क (छ) के अधीन निम्नलिखित निर्देश जारी किये: (1) केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश की शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में कम से कम एक घंटे पर्यावरण–संरक्षण की शिक्षा देने का निदेश दे। (2) ऐसा निदेश कक्षा एक से दस तक की कक्षाओं को दिया जाय। (3) निदेश पर्यावरण की रक्षा तथा प्राकृतिक पर्यावरण के संवर्धन से सम्बन्धित होना चाहिए। (4) केन्द्र सरकार को पर्यावरण से सम्बन्धित पुस्तकों को शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क वितरित करना चाहिए। (5) चूंकि स्वच्छ वातावरण से शरीर एवं मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, अतः बच्चों को घर और बाहर तथा उन गलियों में, जहां वे रहते हैं, स्वच्छ रखने के विषय में शिक्षा दी जानी चाहिए। (6) पर्यावरण–विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों को पर्यावरण–विषय पढ़ाने के विषय में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। (7) उपर्युक्त कार्य सम्पूर्ण देश में किये जाने चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। यद्यपि ये अधिकार पर्यावरण के विषय

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

में प्रत्यक्षतः प्राविधान नहीं करते, तथापि परोक्ष रूप से कुछ मूल अधिकारों में पर्यावरण को भी समाहित किया गया है। भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के अनु० 14, 21, 19–1 (क) तथा 19–1 (छ) के अन्तर्गत दायर किये गये अनेक वादों को पर्यावरण के पक्ष में निर्णीत किया है। उल्लेखनीय है कि संविधान का अनु० 14 व्यवस्था करता है कि, भारत के राज्य–क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। पुनः, संविधान का अनु० 21 भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के संरक्षण के व्यापक अधिकार की गारण्टी देता है।

इसके अनुसार, 'किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार संविधान का अनु० 19–1 (क) 'सभी नागरिकों को वाक स्वातन्त्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का', तथा अनु० 19–1 (छ) कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर यह मत व्यक्त किया है कि कोई भी व्यक्ति अनु० 14 का सहारा लेकर ऐसा कार्य कदापि नही कर सकता, जो पर्यावरण एवं जनहित के लिए हॉनिकारक हो। जैसे, सर्वोच्च न्यायालय ने 'बंगलौर मेडिकल ट्रस्ट बनाम बी. एस. मुडप्पा' वाद में और 'सुशीला सा मिल्स बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा वाद में स्वस्थ एवं उन्नत पर्यावरण के पक्ष में निर्णय दिया एवं उन कार्यवाहियों को अनु० 14 एवं अनु० 19.1 (छ) का उल्लंघन नहीं माना। पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि संविधान के अनु० 21, 48–क और 51 (च) के अधीन प्रत्याभूत 'जीने की स्वतन्त्रता' का अधिकार एवं प्रदूषण रहित जल एवं वायु प्राप्त करने का अधिकार मानवाधिकार के अन्तर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के वाद में का अधिकार भी शामिल है। निर्णीत किया है कि अनु० 21 की परिधि में प्रदूषण से मुक्त जल एवं वायु के उपभोग राज्यों के उच्च न्यायालय भी उन्नत पर्यावरण के पक्ष में कम संवेदनशील नहीं रहेहैं। आन्ध्र–प्रदेश उच्च न्यायालय ने 'टी० दामोदर राव बनाम एस०ओ० म्युनिसिपल कार्पोरेशन, हैदराबाद' वाद में केरल उच्च न्यायालय ने 'एफ० के० हुसेन बनाम भारत संघ' के वाद में निर्णय दिया कि शुद्ध जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार ''जीने के अधिकार' का आवश्यक तत्त्व है। पुनः, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 'बड़ा बाजार फायर वर्क्स डीलर्स एशोसियेशन बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस एवं अन्य' के वाद में मत व्यक्त किया कि भारतीय संविधान के अनु० 19 को अनु० 21 के साथ पढ़ने पर नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण, शान्तिपूर्वक रहने, रात में सोने, इत्मीनान से रहने का अधिकार, जो अनु० 21 द्वारा प्रत्याभूत जीने के अधिकार के आवश्यक तत्त्व हैं, प्राप्त हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक वादो में न्यायालयों ने स्वच्छ पर्यावरण के उपभोग के अधिकार को व्यक्ति के जीन के अधिकार में सम्मिलित किया है। पुनः, अनेक गैर–सरकारी संगठनों (N.G.Os) एवं व्यक्तियों ने अनु० 19–1 (क) द्वारा प्रदत्त वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत पर्यावरण–संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय योगदान किया है। संविधान का अनु० 19–1 (छ) सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतन्त्रता प्रदान करता है, किन्तु यह अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है। राज्य संविधान के 19–6 (क) के अन्तर्गत उस कारोबार या व्यापार पर रोक लगा सकता है जिससे पर्यावरण को हॉनि पहुँचती है, उच्चतम न्यायालय ने इसी आधार पर रूरल लिटिगेशन एण्ड इंटाइटिलमेन्ट केन्द्र देहरादून बनाम उ० प्र० राज्य' के वाद में एवं एम० सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया' के वाद में ऐसे कारोबारों को रोकने का आदेश दिया जिनसे पर्यावरण को क्षति पहुँचती है।

उल्लेखनीय है कि विकास एवं पर्यावरण परस्पर विरोधी हैं। जहाँ एक ओर राज्य के विकास के लिए बाँधों का निर्माण, तापीय विद्युत परियोजनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर उस स्थान के लोगों का, जहाँ ये परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, मूल अधिकार बाधित होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में दोनों स्थितियों में सामंजस्य अपेक्षित है। भारतीय न्यायालयों ने समय–समय पर दोनों में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। पुनः, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने समय–समय पर पर्यावरण–संरक्षण सम्बन्धी अनेक विधियों का निर्माण करके विकास के साथ पर्यावरण–संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, एम० तथा मित्तल एस० : 21वीं सदी में पर्यावरण एवं प्यावरण शिक्षा, नवचेतन पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2004.
2. गोयल, एम०के० : अपना पर्यावरण, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1995.
3. राठौड़, मीना बुद्धिसागर एवं निशा महाराणा : पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2013/14.
4. शर्मा, बी०एल०और पल्लक भारद्वाज : मानव एवं पर्यावरण, मलिक एंड कम्पनी, जयपुर, 2003.
5. शर्मा, दामोदर और हरिशचंद्र ब्यास : आधुनिक जीवन और पर्यावरण, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2004.

*****